

समावेशी शिक्षा कैसे और क्यों?

भाोधार्थी

अभय कुमार

दर्शन विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर केन्द्रीय वि.वि. सागर (म.प्र.) 470003

रजि.न. Y154240065

Email-abhayipr@gmail.com

मो.न. – 7723963145

मुख्य बिन्दु – अनिर्वायता, परिलक्षित, आत्महत्या, अवसाद, अरुची

मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। सोचना मनुष्य का विशेष गुण है। इसी गुण के फलस्वरूप वह पशुओं से भिन्न समझा जाता है। अस्तु ने मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहकर उसके स्वरूप को प्रकाशित किया है। विवेक अर्थात् बुद्धि की प्रधानता रहने के फलस्वरूप मानव विभव की विभिन्न वस्तुओं को देखकर उनके स्वरूप को जानने का प्रयास करता रहा है। मनुष्य की बौद्धिकता उसे अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बाध्य करती रहती है। वे प्रश्न इस प्रकार हैं –

शिक्षा का स्वरूप का है? इसकी उत्पत्ति किस प्रकार और क्यों हुई? शिक्षा का कोई प्रयोजन है अथवा यह प्रयोजनहीन है? शिक्षा क्या है? शिक्षा की जरूरत है या नहीं? शिक्षा का चरम लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का साधन क्या है? शिक्षा के अच्छे और बुरे पहलू क्या हैं? व्यक्ति और समाज में शिक्षा का क्या महत्व है? कौन सी शिक्षा किस उम्र में देना या उचित या अनुचित है का मापदण्ड क्या है यह कौन तय करेगा कि समस्या को दर्शन की दृष्टि से खोजने का प्रयास करना। दर्शन इन प्रश्नों का युक्ति पूर्वक उत्तर देने का प्रयास है। दर्शन इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिये बुद्धि का प्रयोग करता है। दर्शनशास्त्र का अर्थ ज्ञान-प्रेम या विद्यानुराग होता है। (चिपसवेवचील) (फिलॉस-प्रेम) सोफिया – ज्ञान

अतः दर्शनशास्त्र "सम्पूर्ण विभव दर्शन का विषय है" Philosophy is the all science of Sciences अर्थात् – दर्शनशास्त्र सभी विज्ञानों का विज्ञान है।

नवीन शिक्षा नीति के आलोक में इस विषय पर यह दार्शनिक दृष्टीकोण स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है किस प्रकार से शिक्षा को सर्वजनहिताय, सर्वजनसुखाय तथा समाज कल्याण एवं आर्थिक स्थिति के स्तर में शिक्षा का प्रयोग हेतु नवीन शिक्षा नीति की अनिर्वायता परिलक्षित होती है। जिसके कारण विद्यार्थियों के मानसिक स्तर पर अवसाद, आत्महत्या, शिक्षा के प्रति अरुची, इसके ठीक विपरीत विद्यार्थियों के बीच शिक्षा के प्रति विद्यानुराग उत्पन्न करना इस

नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य है। जिसे बताने का प्रयास इस लेख में दार्शनिक दृष्टि से किया गया है।

प्रत्येक बालक में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जन्मजात पाये जाते हैं। यह गुण प्रायः अनुवंशिकता से सम्बन्धित भी हो सकते हैं, अथवा नहीं भी, इन्हीं गुणों के आधार पर ही बालकों का शैक्षिक स्तर निर्भर करता है। सामान्य बालकों का शैक्षिक स्तर उनकी बुद्धिलब्धि तथा क्षमताओं के आधार पर ही तय किया जाता है। ठीक इसी प्रकार वह बालक जो कि विद्विष्ट बालक होते हैं उन्हें भी शिक्षा के पूर्ण अवसर प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। इन बालकों का शैक्षिक स्तर अलग-अलग होता है। अतः प्रस्तुत पुस्तक के अन्तर्गत हम विद्विष्ट बालकों को दी जाने वाली समेकित अथवा समावेशी शिक्षा के विषय में अध्ययन करेंगे।

समेकित या समावेशी शिक्षा का अर्थ अथवा प्रत्यय समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है, जिसके द्वारा विद्विष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मन्दबुद्धि, अन्धे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है।

समावेशी शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम छात्रों के बौद्धिक स्तर की जाँच की जाती है, तत्पश्चात् उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर निर्धारित किया जाता है। अतः यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है, जो कि विद्विष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु ही निर्धारित की जाती है। अतः इसे समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया।

किसी भी शिक्षा प्रणाली का निर्धारण प्रायः बालकों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक योग्यता तथा शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार समावेशी शिक्षा का निर्धारण भी छात्रों की बुद्धि लब्धि, शैक्षिक स्तर व योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा के कई स्तर होते हैं। यह स्तर बालकों के स्तरानुसार ही निर्धारित किये जाते हैं। बालकों के स्तरों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया गया है –

सामान्य बालक –

1. शारीरिक रूप से भिन्न बालक
2. मानसिक रूप से विचलित बालक
3. सामाजिक रूप से विचलित बालक
4. शैक्षिक रूप से भिन्न बालक

उपरोक्त वर्गीकरण में उल्लेखित बालकों को निम्नलिखित प्रकार से विस्तारपूर्वक वर्गीकृत किया जा सकता है –

1. **भारीरुप से भिन्न बालक** – वह बालक जो कि अन्य बालकों से शारीरुप से भिन्न होते हैं, यह इस श्रेणी में आते हैं, जैसे –

अ. सांवेदिक रुप से विकलांग बालक

ब. गतीय रुप से विकलांग बालक तथा

स. बहुत विकलांग बालक

2. **मानसिक रुप से विचलित बालक** – वह बालक जो कि मानसिक रुप से विचलित होते हैं, वह इस श्रेणी में आते हैं, जैसे –

अ. प्रतिभा"ाली बालक

ब. मन्दबुद्धि बालक तथा

स. सृजन"ील बालक

इस श्रेणी की वि"ीषता यह है कि जरूरी नहीं वल बालक जो कि मानसिक रुप से कमजोर हों वही इस श्रेणी में आयें वरन वह बालक जो आव"यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वह भी इस श्रेणी में आते हैं।

3. **सामाजिक रुप से विचलित बालक** – वह बालक जो कि सामाजिक रुप से विचलित होते हैं वह इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, जैसे –

अ. सांवेगिक रुप से परे"ान बालक

ब. असमायोजित बालक

स. वंचित बालक

द. समस्यात्मक बालक

इ. बाल अपराधी

ई. माता पिता द्वारा तिरस्कृत बालक

4. **भौक्षिक रुप से भिन्न बालक** – शैक्षिक रुप से भिन्न बालकों के अन्तर्गत निम्न बालक आते हैं –

अ. शैक्षिक रुप से समृद्ध बालक

ब. शैक्षिक रुप से पिछडे बालक

स. किसी विषय विज्ञान को न सीख पाने वाले बालक तथा

द. सम्प्रेषण बाधित बालक

इस प्रकार से इन सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करने हेतु ही समेकित अथवा समावेशी शिक्षा का प्रावधान तैयार किया गया। अतः समावेशी शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है, जो कि विविधता ग्रहण किये बालकों हेतु तैयार की गई है।

प्राचीन समाज में बच्चों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रायः सभी देशों के लोग उदासीन थे। बच्चों को अपने सहज विकास के लिए स्वच्छन्दता और अवसर नहीं मिल पाता था। इतना अवगत था कि दैनिक आचरणों, नियम पालन, व्यायाम और नियमित रहन-सहन की कठोरता तथा आत्म-संयम द्वारा उनके शारीरिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था। सामान्यतया प्रत्येक अभिभावक की यह अभिलाषा होती थी कि उसके बच्चों को ऐसी शिक्षा प्राप्त हो जिससे वह उचित आयु प्राप्त करने पर अभिभावक को परिवार के भरण-पोषण के उत्तरदायित्व से मुक्त कर सके। इस प्रकार बच्चों की शिक्षा के मापदण्ड का निर्धारण व्यक्ति की कुछ आवश्यकताओं पर आधारित था। फलतः पूर्व निर्धारण मापदण्ड के अनुरूप उन्हें तैयार करना शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य था। बच्चों के विकास की सहज प्रवृत्ति और उनकी स्वच्छन्दता का अध्ययन करना तो दूर रहा— उन पर जान बूझकर कुठाराघात किया जाता था।

समाज के विकास के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यों एवं स्तर में भी परिवर्तन होता गया। समाज को अपने निरन्तर विकास हेतु सुयोग्य नागरिकों की आवश्यकता प्रतीत हुई। फलतः शिक्षा के उद्देश्य के क्षेत्र में कुछ विस्तार हुआ है। अब तक शिक्षा का ध्येय बच्चों को अपने परिवार का उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना था और अब उत्तरदायित्व की परिधि विस्तृत होकर परिवार से देश और समाज में परिवर्तित हो गई। फलस्वरूप केवल शिक्षा के उद्देश्य क्षेत्र में विस्तार मात्र हो गया। बालकों की सहज प्रवृत्ति के विकास को फिर भी अवसर नहीं मिल पाया।

भारत में दर्शनशास्त्र को "दर्शन" कहा जाता है। "दर्शन" शब्द दृष्टि धातु से बना है जिसका अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाये। "भारत में दर्शन उस विद्या को कहा जाता है जिसके द्वारा तत्व का साक्षात्कार हो सके भारत का दार्शनिक केवल तत्व की बौद्धिक व्याख्या से ही संतुष्ट नहीं होता है बल्कि वह तत्व की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है।" भारतीय दर्शन की दो दृष्टि हैं।

1. ज्ञानमिमांसीय दृष्टि – अध्यात्मिक दृष्टि। 2 तत्वमिमांसीय दृष्टि – व्यावहारिक दृष्टि।

भारत में दर्शन ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि सर्वोच्च लक्ष्य के लिये था जिसके लिए मनुष्य इस जीवन में प्रत्यनशील रह सकता है।

शिक्षा शास्त्र तथा शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि पर विचार प्रकट करते हैं तो पाते हैं कि वि"व के श्रेष्ठ शिक्षा—"ास्त्री—राष्ट्रपिता महात्मागांधी, सुकरात, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, ने जीवन पद्धति के दार्शनिक हैं। जबकि—जानलॉक, दुर्खीम, रूसो, कार्लमार्क्स, हीगेल, जे.एस. मिल इत्यादि ज्ञान व विज्ञान की दृष्टि से प्रमाणित शिक्षा पर बल देते हैं।

शिक्षा मानव विकास का मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कला—कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। और यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारम्भ हो जाते हैं। बच्चे के जन्म से कुछ दिन बाद ही उसके माता—पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य उसे सुनना और बोलना सिखाने लगते हैं। जब बच्चा कुछ बड़ा होता है तो उसे उठने—बैठने, चलने—फिरने, खाने—पीने तथा सामाजिक आचरण की विधियाँ सिखाई जाने लगती हैं। जब वह तीन—चार वर्ष का होता है तो उसे पढ़ना—लिखना सिखाने लगते हैं। इसी आयु पर उसे विद्यालय भेजना प्रारंभ किया जाता है। विस्तृत रूप में देखें तो किसी समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। अतः अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने—सिखाने की यह सप्रजनन प्रक्रिया ही शिक्षा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ यह भी है कि शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष् धातु में अपत्यय लगने से बना है। शिक्ष् का अर्थ है सीखना और सिखाना इस लिये शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने—सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा के लिये प्रयुक्त शब्द ऐजूके"न पर विचार करें तो भी उसका यही अर्थ निकलता है। ऐजूके"न शब्द लेटिन भाषा के एजूकेटम शब्द से बना है और ऐजूकेटम शब्द उसी भाषा के ए तथा ड्यू को दो शब्दों से मिलाकर बना है। ए का अर्थ है अंदर से और ड्यूकों का अर्थ आगे बढ़ाना इस लिये ऐजूके"न का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्ति को बाहर की ओर प्रकट करना।

मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। स्वामी विवेकानंद

शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। महात्मा गांधी

मूल्य शिक्षा के सन्दर्भ में हमारे सामने तीन प्र"न उभर कर आते हैं। पहला यह कि मूल्य तो व्यक्ति अपने समाज की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने से स्वयं ग्रहण करता है, इन्हें औपचारिक रूप से सिखाने अथवा विकसित करने की क्या आवश्यकता है। दूसरा प्र"न यह है कि यदि हमें बच्चों को मूल्यों की शिक्षा देनी है तो वह किन मूल्यों की। और तीसरा और अंतिम प्र"न यह है कि यदि हमें अपने बच्चों को कुछ मूल्यों की शिक्षा देनी है तो वह कब और किस प्रकार दी जाए। यहाँ हम इन तीनों प्र"नों पर अलग—अलग विचार किया गया है।

शिक्षा के प्रचार और प्रसार हेतु भिन्न प्रकार की योजनाओं का गठन किया गया है। हमारे देश सहित अन्य देशों में भी शिक्षा आयोग और शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। सभी ने किसी न किसी रूप में मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में शिक्षा को समग्र रूप से देखने और उसके सुधार हेतु सुझाव देने के लिये कोठारी आयोग 1964-66 का गठन किया गया। इस आयोग ने प्रतिवेदन में मूल्य शिक्षा को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में भी इस बात पर खूब विचार विमर्श किया गया है। फरवरी 1999 में भारतीय संसद में जो.एस.बी. चह्माण समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। उसमें सत्य, सदाचरण, शांति, प्रेम और अहिंसा को सर्वभौमिक मूल्य माना गया है। तब ही आप ही विचार करे की सर्वभौमिक मूल्यों के नाम पर भारत में किन मूल्य की शिक्षा दी जाये? भारत सरकार ने भी शिक्षा के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण योग्यदान दिया है।

संविधान के अनुच्छेद 29 (2) में यह व्यवस्था की गई है— राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वर्ण अथवा जाति के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। वर्तमान में यह नियम वित्तविहीन मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं पर लागू है, पब्लिक स्कूलों पर भी।

जगतगुरु शंकराचार्य, डॉ. एनी बसेन्ट, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर, महाकवि श्री अरविन्द, जाकिर हुसैन, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् इत्यादि अध्यात्मिक ज्ञान को ही उचित मानते हैं।

अतः सुकरात की उक्ति वर्तमान में प्रासंगिक हो उठती है कि हमारी शिक्षा या ज्ञान का अर्थ— भौतिक वस्तु की पश्चात्, उनके बारे में दिया गया ज्ञान या शिक्षा नहीं होनी चाहिए बल्कि विद्यार्थी या उनके मानव, व्यक्ति के हृदय स्थल में रखी हुए ज्ञान को प्रस्फुटित करना ही शिक्षा या ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अर्थात् आत्म-ज्ञान होना चाहिए।

“शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित व्यक्तित्व के सम्पर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की आगामी शिक्षा हेतु विकसित व्यक्तित्व व्यक्त करता है।” एच.सी. मारीसन।

अन्त में — शिक्षा का मुख्य उद्देश्य जीवन दर्शन का ज्ञान — शिक्षा की सफलता में केवल व्यवहार में परिवर्तन लाने से है। अपितु बालक में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करने से है। शिक्षक का इन मानवीय मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। उसे सत्यम विवम सुन्दरम का मार्ग स्वयं अपनाकर विद्यार्थियों को पूजा मार्ग की ओर प्रवृत्त करना चाहिए।

शिक्षा की पद्धति और महत्व कुछ इस प्रकार है। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक तथा अध्यात्मिक स्तर पर किस प्रकार का ज्ञान किस उम्र के बच्चों को कब कौन

सा पाठ्यक्रम उनके अध्ययन के लिए लागू किया जाय इस प्रश्न की समस्या का हल प्राचीन इतिहास में मिलता है कि पाषाण काल, नवपाषाण काल में शिक्षा का विकास नहीं हो पाया था, लेकिन आर्य समाज शिक्षित या संस्कृति से परिपूर्ण व अनुशासन प्रिय या सभ्य समाज की स्थापना शिक्षा के महत्व तथा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा सर्टिफिकेट के महत्व को पाया जाता है जिस कारण वे वैज्ञानिक की परीक्षा में नियोग्य माने गये अतः आप की शिक्षा व्यवस्था में मूल्य परक शिक्षा का महत्व है यह कथन राष्ट्रपति – डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने कहा था। वर्तमान शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें ज्ञान की वास्तविकता और पारदर्शिता बनी रहे तथा अध्यापक के प्रति सम्मान बच्चों में ऐसी भावना पैदा कि जा सके। शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हेतु, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गाँधी, दयानन्द सरस्वती, इत्यादि थे।

यूनानी शिक्षक वेस्टोलोजी का यह कथन कि—यदि कोई बच्चा 7 साल की उम्र तक मेरी निगरानी में रखा जाय तो, शैतान या खुदा ही उसकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं ला सकता।

अर्थात् बच्चों में मजबूत शिक्षा का पाठ्यक्रम उनके कोरे कागज पर धीरे धीरे एक मजबूत पकड़ बना देता है। जो कि आगे चलकर महान गुणों में बदल जाता है। उदाहरण के लिए शिवाजी जो कि पहाड़ी चूहा के नाम से प्रसिद्ध हुए।

वर्तमान में शिक्षा पाठ्यक्रम को मूल्य परख तथा संचार व औद्योगिक उद्योग, के सम्बन्धित विषयों और पाठ्यक्रम को शामिल करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थियों का शिक्षा से लाभ हो सके।

राष्ट्रपिता महात्मागाँधी जी का मानना है कि भारत की उच्च शिक्षा कपास विनती है, यहाँ कि महात्मागाँधी जी ने पहली कहाँ है कि शिक्षा धनोपयोगी अर्थात् समाज में जीवनयापन योग्य की होनी चाहिए—लघु एवं कुटीर उद्योग, 10वीं. एवं 12वीं. पालीटेकनिक की शिक्षा, आदि।

11वीं और 12वीं के बच्चों में सोचने और समझने की समता का विकास 19 साल के उपरान्त ही होने लगता है अतः उन बच्चों को भी दर्शनशास्त्र, यौन शिक्षा, का ज्ञान दिया जाना चाहिए, महापुरुष पं. मदनमोहन मालवीय जी ने कहाँ था कि – जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वही से अध्यात्म की या धर्म की शुरुआत होती है।

अतः विज्ञान और दर्शनशास्त्र, शिक्षा और दर्शन शास्त्र का बड़ा ही गहरा संबंध है।

जिस प्रकार विज्ञान ने नियमों पर चलता है उसी प्रकार दर्शनशास्त्र भी अपनी दो दृष्टियों पर चलता है तथा शिक्षाशास्त्र भी नैतिकता और अनुसासन की महान उच्च कोटी की भावना को समाहित करते हुए बच्चों में मूल्य परक शिक्षा और अध्यात्मिक पारदर्शिता लाने में जहा तक सिद्ध होती है। यही कारण है कि भारत में अनेक महापुरुष, व्यावहारिक राजनैतिको तथा

समाजसुधार, वर्ग संघर्ष का कालमाक्स और संतो ने समान-समान पर जन्म लेकर भारत भूमि को देवताओं की भूमि बनाने में तथा ज्ञान की नगरी कहलाने में सराहनीय योगदान दिया है।

अतः सुकरात और कबीर जी के विचारों में शिक्षा का अर्थ—जो सभ्यता, ज्ञान, संस्कृति, देवता होने का परिचय दे नहीं तो वे पशु या राक्षस और दानव कहलायेगा—कबीर दास ने कहा था।

“मासि कागद छुयो नही, कलम गहो नहीं हाथ।” अतः मौलिक शिक्षा का प्रमाण किसी भी प्रकार की लिखित व्यवस्थित और औपन्यासिक शिक्षा से कम नहीं ठहरता वर्तमान में कही कही प्रमा और औपचारिक शिक्षा से कम नहीं ठहरता वर्तमान में भी कही कही पुरुष और स्त्री लिख नहीं सकते लेकिन पढ़ और समझ सकते हैं। ये वर्तमान शिक्षा पाठ्यक्रम का रहस्य है। फिर भी थोड़ी बहुत रुचिकर बनाने का प्रयास तथा आर्थिक सहायता हेतु पाठ्यक्रम की कमी रह जाती है। जिससे विद्यार्थियों का कल्याण निहित है।

भोध पद्धति –

द्वितीयक स्रोत का उपयोग किया गया है।

सुझाव –

1. समेकित शिक्षा हेतु परिश्रमि अध्यापकों की व्यवस्था – विविष्ट बालकों को उचित शिक्षा प्रदान करने के लिये विविष्ट परिश्रमि अध्यापकों की व्यवस्था करनी चाहिए।
2. समाज सेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था – विविष्ट बालकों को प्रशिक्षित करने के लिए समाज सेवियों तथा विशेषज्ञों की व्यवस्था करनी चाहिए।
3. अतिरिक्त कक्षा की योजना – सामान्य विद्यालयों या कक्षाओं में पढ़ रहे विविष्ट बालकों को अलग करके अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।
4. समेकित कक्षा योजना – जिस विद्यालय में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक, प्रतिभाशाली बालक, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक रूप से विविष्ट बालक आदि की संख्या अधिक हो, इस स्थिति में इन बालकों के साथ बैठाकर शिक्षा देने उचित नहीं है।
5. समेकित विद्यालय योजना – यदि विविष्ट बालक सामान्य विद्यालय के बालकों के साथ समायोजन करने में पूरी तरह असमर्थ होते हैं तो इस परिस्थिति में इन बालकों के लिए जैसे – चक्षुहीन, बहरे व गूंगे, बाल-अपराधी, कुसमायोजित, उच्च प्रतिभा सम्पन्न, सृजनात्मक, समस्यात्मक आदि के लिए समेकित विद्यालय की व्यवस्था करनी चाहिए।
6. आवासीय विद्यालय योजना – अन्धे, बहरे विकृत शरीर वाले, बाल अपराधी, मानसिक रूप से विकलांग व मन्द बुद्धि तथा सांवेगिक रूप से असंतुलित आदि गम्भीर विविष्ट बालकों के लिए आवासीय विद्यालय की योजना क्रियान्वित करनी चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची –

1. भट्ट श्री कृष्ण, (1996), बाबा विनोवा, सर्वसेवा संघ प्रकाशन, छटा संस्करण, पृष्ठ सं. 40।
2. लाल बिहारी रमन, (2007), शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, रस्तोगी पब्लिकेशन, पृ. सं. 522–550।
3. एस.के.नारंग, समावेशीय शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन, संस्करण 2015, पृ.स. 1–3